भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 2132

उत्‍तर देने की तारीख : 12 मई, 2016

**नियुक्ति हेतु एन॰ई॰टी॰/एस॰एल॰ई॰टी॰ से छूट**

**2132. श्री नरेन्द्र कुमार स्वैनः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पी॰एच॰डी॰ की डिग्री वाले उन अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन॰ई॰टी॰)/राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस॰एल॰ई॰टी॰) से छूट दे दी है जिन्होंने महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्‍यापकों की नियुक्ति हेतु 11 जून, 2009 से पहले केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में स्वयं को पंजीकृत करा लिया है;

(ख) क्या हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की सभी सदस्यों वाली बैठक हुई थी और यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं; और

(ग) व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु मानदंड क्या-क्या हैं?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्रीमती स्‍मृति ज़ूबिन इरानी)**

(क) से (ग): विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 12 अप्रैल, 2016 को आयोजित अपनी 514वीं बैठक में निर्णय लिया है कि अभ्‍यर्थियों जिन्‍हें 11 जुलाई, 2009 से पहले पीएचडी प्रदान कर दी गई है/पीएचडी हेतु पंजीकृत किए गए हैं, को उस समय डिग्री प्रदान करने वाली संस्‍था के तत्‍कालीन अध्‍यादेशों/बायलॉस/विनियमों के प्रावधानों द्वारा अभिशासित किया जाएगा और उन्‍हें विश्‍वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्‍थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति हेतु राष्‍ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) राज्‍य स्‍तर पात्रता परीक्षा (स्‍लेट)/राज्‍य पात्रता परीक्षा (सेट) हेतु न्‍यूनतम पात्रता शर्तों की आवश्‍यकता से निम्‍नलिखित शर्तों को पूरा करने पर छूट प्रदान की जाएगी:

1. उम्‍मीदवार को अवार्ड की गई पीएचडी डिग्री केवल नियमित पद्धति में हो।
2. पीएचडी थिसिस का मूल्‍यांकन कम से कम दो बाह्य जांच कर्ताओं द्वारा किया गया हो।
3. उम्‍मीदवार ने दो शोध पत्र प्रकाशित किए हों जिनमें से कम से कम एक उसके पीएचडी कार्य में से संदर्भित जर्नल में प्रकाशित हुआ हो।
4. उम्‍मीदवार ने अपने पीएचडी कार्य में से दो शोध पत्र सेमिनारों/सम्‍मेलनों में प्रस्‍तुत किए हों।
5. उम्‍मीदवार की मुक्‍त पीएचडी मौखिक परीक्षा ली गई हो।

उपर्युक्‍त (i) से (v) को कुलपति/प्रो कुलपति/डीन (शैक्षिक मामले)/डीन (विश्‍वविद्यालय अनुदेश) द्वारा सत्‍यापित किया जाएगा।

इस निर्णय को यूजीसी (विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में अध्‍यापकों और अन्‍य शैक्षिक स्‍टाफ की नियुक्ति के लिए न्‍यूनतम अर्हता और उच्‍चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु उपाय) विनियम, 2010 के तीसरे संशोधन में सम्मिलित कर लिया गया है। सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हेतु न्‍यूनतम अर्हताएं है: (i) अच्‍छा शैक्षिक रिकार्ड, मास्‍टर स्‍तर पर 55% अंक (अथवा प्‍वाइंट स्‍केल जहां ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है में समकक्ष ग्रेड); (ii) नेट/स्‍लेट/सेट उत्‍तीर्ण, अथवा यूजीसी (पीएचडी डिग्री प्रदान करने हेतु न्‍यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 तथा यूजीसी द्वारा अधिसूचित बाद वाले विनियम; अथवा 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पंजीकृत/प्रदान की गई पीएचडी डिग्री जो आयोग द्वारा 12 अप्रैल, 2016 को आयोजित अपनी 514वीं बैठक में अनुमोदित शर्तों को पूरा करते हों।

सरकार द्वारा नियुक्‍त निगावेकर समिति जिसे अध्‍यापन व्‍यवसाय में प्रतिभाशाली और गुणवत्‍तायुक्‍त मानवशक्ति को आकर्षित करने तथा उन्‍हें बनाए रखने संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए कहा गया था, ने विश्‍वविद्यालयों और कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु संशोधित शैक्षिक निष्‍पादन सूचक (एपीआई) को अपनाने की सिफारिश की है। इन सिफारिशों को यूजीसी (विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में अध्‍यापकों और अन्‍य शैक्षिक स्‍टाफ की नियुक्ति के लिए न्‍यूनतम अर्हता और उच्‍चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु उपाय) विनियम, 2010 के तीसरे संशोधन में सम्मिलित कर लिया गया है।

\*\*\*\*\*